(19)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(स्थापना शाखा)

क्रमांक : जनावि/स्था/अशै/06/ 5088 दिनांक : 16-9-06

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी परिपत्रांक : 4819 दिनांक 01.09.2006 के कम में विश्वविद्यालय के विस्तृत कार्यक्षेत्र को देखते हुए निम्नलिखित अधिकारीगणों को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है –

1. समस्त प्राचार्य, संबंद्ध महाविद्यालय।
2. मुख्य अधीक्षक, सामान्य संकाय छात्रावास।
3. मुख्य अधीक्षक, विज्ञान संकाय छात्रावास।
4. मुख्य अधीक्षक, अभियांत्रिकी संकाय छात्रावास।
5. सचिव, छात्र सेवा मण्डल।
6. मुख्य चीफ प्रक्टर।
7. सचिव, क्रीडा मण्डल।
8. निदेशक, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज।
9. निदेशक, प्रौढ एवं सतत् शिक्षा विभाग।
10. निदेशक, मधुसूदन ओझा रिसर्च सेल।
11. निदेशक, यूसिक।
12. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र।
13. पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पुस्ताकालय/समस्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, संबंधित संकाय पुस्तकलाय।
14. समन्वयक, एन.एस.एस./रोवर स्काउट्स।
15. मुख्य सलाहकार, छात्र संघ।

प्रार्थी को दी गई सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भिजवाएँ।

कुलसचिव

क्रमांक : जनावि/स्था/अशै/06/ 5089 दिनांक : 16-9-06

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधिष्ठाता/ निदेशक, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, संकाय/अनुभाग।
4. विश्वविद्यालय अभियंता, भवन निर्माण कक्ष।
5. निजी सचिव कुलपति/निजी सहायक कुलसचिव।
6. समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी।

सहायक कुलसचिव
(स्थापना शाखा)

(12)

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(स्थापना शाखा)

क्रमांक : जनावि/स्था/अशै/06/ 4819 दिनांक: 1-9-06

परिपत्र

राज्य सरकार, गृह (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक : 03.10.2005 के अनुसरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् विश्वविद्यालय में जरिए परिपत्र निम्नानुसार सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है :–

1.	लोक सूचना अधिकारी	कुलसचिव
2.	अपील अधिकारी	कुलपति
3.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	1. समस्त सहायक कुलसचिव, संकाय/ अनुभाग 2. विश्वविद्यालय अभियंता,भवन निर्माण कक्ष

विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र के क्रम में सूचित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों/विभागों/अनुभागों में जिन अनुभाग अधिकारियों द्वारा सहायक कुलसचिव के पद का कार्य सम्पादित किया जा रहा है वे सहायक लोक सूचना अधिकारी के पद कार्य सम्पादित करेंगे।

कुलसचिव

दिनांक: 1-9-06

क्रमांक : जनावि/स्था/अशै/06/ 4813

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, संकाय/अनुभाग
4. विश्वविद्यालय अभियंता, भवन निर्माण कक्ष।
5. निजी सचिव कुलपति / निजी सहायक कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (स्था)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प 9(23)गृह–5 / 2005 जयपुर, दिनांक 3-10-05

JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY ... 10240 20.7.06

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनाक 15 जून, 2005 से प्रभावशील हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) एवं धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 की उपधाराएँ (1) एवं (2) तत्काल प्रभाव मे आ गयी है। शेष प्रावधान अधिनियम बनने की तिथि से 120वे दिन अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से लागू होंगे। अधिनियम की प्रति संलग्न है।

उक्त अधिनियम द्वारा जहाँ प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया गया है वही राज्य के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किया जा रहा राजकीय कार्य मे पारदर्शिता लाने एवं उनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने की व्यवस्था की गई है। इसलिये इस अधिनियम की सफल क्रियान्विति का हम सभी का दायित्व है।

इस अधिनियम के राज्य में क्रियान्विति के सन्दर्भ में पूर्व में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर आपको समय सीमा के अन्तर्गत ही अधिनियम के प्रावधानो की क्रियान्विति हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर अ.शा. टीप दिनाक 11–9–2005 के माध्यम से कतिपय शंकाओं का समाधान किया जाकर आपसे अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु आग्रह किया गया था।

आपके स्तर पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोपेक्षित निम्नांकित व्यवस्थाये सुनिश्चित कर ली गई होंगी –

1. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड 'बी' में अंकित अपेक्षित निर्देशिका(मैनुअल) का संधारण किया जाकर उन्हें प्रकाशित किया जाना। (मार्गदर्शन हेतु मैनुअल का प्रारूप संलग्न है)
2. आपके अधीन कार्यरत समस्त लोक प्राधिकरण (Public Authority) के स्तर पर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना एवं अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना।
3. प्रत्येक लोक प्राधिकरण (Public Authority) के सन्दर्भ में अपील अधिकारी की नियुक्ति किया जाना।

राज्य के स्तर पर यह उपयुक्त समझा गया है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में यथावर्णित प्रत्येक विभागाध्यक्ष के अधीन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक संस्थान लोक प्राधिकरण (Public Authority) रहेगा एवं निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे –

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण	राज्य लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 2 (xviii) के सदर्भ मे परिशिष्ठ 8 म यथा उल्लेखित विभागाध्यक्षों की सूची अनुसार	विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी	विभागाध्यक्ष
2	जिला परिषद / जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला प्रमुख

3.	पंचायत समिति	विकास अधिकारी	प्रधान
4.	ग्राम पंचायत	सचिव	सरपंच
5.	राज्य उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6.	जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास	सचिव, ज.वि.प्रा. / सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, ज.वि.प्रा. / अध्यक्ष अथवा प्रशासक, नगर सुधार न्यास
7.	नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका	मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी	महापौर / सभापति / अध्यक्ष
8.	विश्वविद्यालय	कुलसचिव	कुलपति
9.	राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सहकारी संस्था / समिति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

सभी प्रशासनिक विभाग लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ-साथ सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति उपखण्ड स्तर पर सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी लोक प्राधिकरण की उपखण्ड स्तर पर कोई शाखा नही है ऐसे मामलों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को सहायक लोकसूचना अधिकारी नियुक्त किया जावेगा।

शासन सचिवालय के लिये राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिए प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे तथा अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव(विकास) होंगे।

राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने से जन सामान्य द्वारा सूचनायें प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जावेगे जिन पर निश्चित समयावधि के अन्दर ऐसे आवेदनों पत्रों का निस्तारण आवश्यक है। इसकी पालना नहीं करने पर लोक सूचना अधिकारी की त्रुटि मानते हुये ऐसे अधिकारी के विरूद्ध शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अत प्रत्येक स्तर पर इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

3/10/05

(वी.एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

संलग्न -- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

3/10/05

उप शासन सचिव (सुरक्षा)